I J R S S I S, Issue (IX), Vol. (I), May 2023: 302-305
A Double-Blind Peer Reviewed Journal
OPEN ACCESS
e-ISSN 2347 – 517X
Original Article

Reg. No. : MH-NGP/0000167

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCE AND INFORMATION STUDIES

© VMS RESEARCH FOUNDATION www.ijrssis.in

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं स्कूली शिक्षा

डॉ० मोहिता गोयल
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र विभाग)
रजत कॉलेज लखनऊ (उ०प्र०)

Communicated : 06.02.2023	Revision : 10.03.2023 Accepted : 07.04.2023	Published: 30.05.2023

सारांश :

इस शोध पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत की परंपरा, संस्कृति, मूल्यों और सभ्यता को समाहित करते हुए बालक के सर्वांगीण विकास जिसमें उसके नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार के विकास पर बल दिया गया है। इसके लिए प्रगतिशील पाठ्यक्रम तथा छात्रों को बोझिल न महसूस होने वाला, अंतर-अनुशासनात्मक विषय, नई शिक्षा व्यवस्था, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली आदि प्रमुख परिवर्तन कर शिक्षा को अनुभव आधारित बनाने पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान कर बढ़ने और विकसित होने के लिए एक सामान अवसर प्रदान करना है तथा विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि और आत्मविश्वास का सर्जन कर उनके दृष्टिकोणों का विकास करना है। इस शोधपत्र में नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताओं एवं स्कूली शिक्षा से सम्बन्धित कार्यों पर प्रकाश डाला गया है।

प्रमुख शब्द : राष्ट्रीय शिक्षा, साक्षरता दर, स्कूली शिक्षा, पाठ्यक्रम

प्रस्तावना :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बनाने के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र संघ (वर्ष 2015) में अपनाये गये सतत् विकास के लक्ष्यों में SDG4 को 2030 तक प्राप्त करना भी है, जिसमें सभी को समावेशी, समतापूर्ण, न्यायसंगत तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा के माध्यम से ही अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। शिक्षा से ही अन्य सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जा सकता है (Soumya. 2022)। यही कारण है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन से शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया तथा केंद्र और राज्य दोनों ही के द्वारा सार्वभौमिक, अनिवार्य, प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास किया जा रहा है। आर.टी.ई. एक्ट 2009 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी को समान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ-साथ सामाजिक, न्याय एवं राष्ट्र के विकास को उत्तरोत्तर बढ़ाना है। खेद का विषय है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी हम सम्पूर्ण साक्षरता के निकट नहीं पहुंच पाए हैं और हमारे कुछ राज्यों में आज भी साक्षरता की दर संतोषजनक नहीं है

आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम 66.4 है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 73.4 जबकि महिला की साक्षरता दर 59.4 है, जो पुरुष की साक्षरता दर से बहुत कम है। जबकि बिहार राज्य जो पहले सबसे कम साक्षरता वाला राज्य था उसकी साक्षरता दर 70.9 के साथ तीसरे स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश 73 साक्षरता दर के साथ निम्न साक्षरता दर वाला भारत का पांचवा राज्य है जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 81.8 और महिला की साक्षरता दर 63.4 में बहुत अंतर है।

प्रारम्भिक शिक्षा के सन्दर्भ में नामांकन के आंकड़े भी बहुत संतोषजनक नहीं है, साथ ही विद्यालय छोड़ने वाले बच्चो की संख्या प्राइमरी लेवल पर 1.5%,

उच्च प्राथमिक स्तर पर 3% एवं माध्यमिक स्तर पर 12.6% है (UDISE 2021-22) |

ज्ञान, विज्ञान व तकनीकी की क्रान्ति से सम्पूर्ण विश्व के परिदृश्य लगातार तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं। बढती हुई जनसंख्या जहाँ एक ओर प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों की तेजी से खपत बढ़ा रही है, वही डेटा साइंस, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंसजैसी तकनीकी विकास कुशल अकुशल श्रमिक का स्थान लेते जा रहे हैं। ऐसे में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाले इस देश में युवाओ की शक्ति का सार्थक सदुपयोग करने, उन्हें शैक्षिक एवं कुशलता प्रदान कर प्रतिभा संपन्न करने तथा इस प्रकार राष्ट्र की उन्नति करने हेतु एक सशक्त, सुदृढ़ एवं दूरगामी नीति की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक श्रेष्ठ एवं सराहनीय पहल है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के संवर्द्धन हेतु प्रमुख बिंदु

1. स्कूली शिक्षा की नवीन संरचना (5+3+3+4)- स्कूल आनन्दमयी वातावरण में सीखने का स्थान है। नई शिक्षा नीति बालक की सीखने की अवस्थाओं के अनुरूप सीखने के वातावरण के निर्माण की बात कर ली है। पाठ्यक्रम की संरचना 5+3+3+4 के आकार में होगी। इसमें प्रथम भाग 5 वर्षीय बुनियादी स्तर कहलायेगा। यह भी दो भागों में बंटा होगा। द्वितीय भाग 3 वर्षीय प्रिपरेटरी स्तर, तृतीय भाग 3 वर्षीय मिडिल एवं अंतिम भाग 4 वर्षीय सेकेंडरी स्तर कहलायेगा, जिसमें पहले दो साल 9-10 उसके बाद के 2 वर्ष 11-12 कक्षा के लिए होंगे।

2. प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई)- बालक के मस्तिष्क का अधिकतम विकास बाल्यावस्था मेंही होता है। शिक्षा नीति 2020 में प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के द्वारा बालक के लिए बाल्यावस्था से ही खेल, गतिविधि और खोज आधारित शिक्षा देने की बात करती है। इसका मुख्य उद्देश्य बालक की देखभाल और उनका सम्पूर्ण विकास कर शुरुआत से ही शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाना है।

3. स्कूली शिक्षा के लिए समृद्ध सीखने के अनुभव दिए जाने पर बल- बहु सांस्कृतिक, बहुस्तरीय खेल, बहु भाषिक,पारंपरिक खेल एवं गतिविधियों को पाठ्यक्रम का अंग बनाने पर जोर दिया गया मातृभाषा, लोकल भाषा में साहित्य एवं पाठ्यक्रम तैयार करने की संकल्पना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। खेल-खेल में सीखने के अनुभव छात्रों को प्रदान करना सीखने को एक एक आनंदमयी गतिविधि बनाने जैसा है। अध्ययन / अध्यापन की नवीन शैलियों का अपनाने पर बल जिसमें संवाद, कथानक का प्रयोग किया जायेगा।

4. कार्यात्मक साक्षरता सार्वभौमिक संख्या-ज्ञान एवं अक्षर ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा में बालको को सर्वप्रथम अक्षर, ज्ञान प्रदान किया जाता है जिससे उन्हें बुनियादी शिक्षा प्रदान कर भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। PRATHAM संस्था ने प्राथमिक विद्यालयों मे विद्यार्थियों में स्कूल प्रतिदिन जाने के बाद भी मूलभूत कौशल संख्या- ज्ञान, अक्षर पढ़ने-लिखने, समझने, सामान्यजोड़, घटाना आदि की कमी को एक प्रमुख चुनौती बताया। बुनियादी साक्षरता संबंधित कमी को तत्काल दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसे एक राष्ट्रीय अभियान बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसका मुख्य कार्य 2025 तक प्रत्येक बालक को बुनियादी साक्षरता प्रदान करवाना है। इसके लिए शिक्षक छात्र अनुपात 25:1 से कम हो ताकि शिक्षक प्रत्येक छात्र पर विशेष ध्यान दे सकें। इसके अतिरिक्त पियर ट्यूटोरिंग को भी बढ़ावा दिये जाने पर बल दिया है जो न सिर्फ सीखने में सहायता करेगी अपितु परस्पर सहयोग के मूल्य को विकसित करने में भी सहायक होगी।

5. बालक के विशिष्ट प्रतिभा की पहचान कर उसका विकास करना- नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों की विशिष्ट प्रतिभा कोपहचान कर उसके अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करने पर जोर देती है जिससे उनकी प्रतिभा का विकास हो सके और वह भविष्य में देश के विकास में सहायता करे।

6. तकनीकी शिक्षा तथा तकनीक की सहायता से समावेशीशिक्षा तकनीकी के उपयोग कर विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अमान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके लिए शिक्षा नीति 2020 में तकनीकी

शिक्षा को प्रात्साहित करने और तकनीक के प्रयोग की बात करती है।

7. 2030 तक माध्यमिक स्तर पर शत-प्रतिशत नामांकन प्राप्ति का लक्ष्य- राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर 2030 तक शत-प्रतिशत नामांकन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम को सरल बनाना, सार्वजनिक पहुंच, रुचिकर, जीवन से संबंधित उदाहरण युक्त बनाना एवं इसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, जिससे छात्र बिना किसी रुकावट के शिक्षा ग्रहण कर सकें।

8. ड्रॉपआउट दर को कम करना, ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान तथा उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ने की पहल शत प्रतिशत नामांकन प्राप्त करने के साथ-साथ नई शिक्षा नीति का उद्देश्य न सिर्फ ड्रॉपआउट दर को कम करना बल्कि ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान कर उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ने की पहल करना भी है। इसके लिए विद्यालयों के पास छात्रावास की व्यवस्था करने पर भी जोर देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि दूर से आने वाले छात्रों को बिना किसी रुकावट के शिक्षा प्राप्त हो सके। कमजोर परिवारों के बच्चों को मुख्यधारा शिक्षा में लाने के लिए समाज की सहायता एवं उनकी सुविधा के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा केंद्र की स्थापना की बात भी नई शिक्षा नीति में की गई है जो विद्यार्थियों को निर्बाधशिक्षा प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगी।

9. विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास- शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। नई शिक्षा नीति ने भारतीय ज्ञान, परंपरा, सभ्यता, नैतिक मूल्य, प्रयोगात्मक शिक्षा प्रणाली आदि के द्वारा विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, संवैधानिक विकास पर विशेष बल दिया है जिससे भविष्य के लिए जिम्मेदार नागरिक तैयार हो सकें, जो कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकें।

10. मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, स्थानीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है क्योंकि

- प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवेश में चल रही भाषा में ज्यादा सरलता से सीखते हैं।
- अपनी भाषा में शिक्षा के वातावरण से वह सरलता से उसमे घुल-मिल जाते हैं।
- परिवार के बाद विद्यार्थी पहली बार बाहर निकलते हैं जिससे उन्हें मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने से उन्हें अपने परिवार की याद न आये और उन्हें परिवार जैसा माहौल दिया जा सके।
- इसके अतिरिक्त बहुभाषावाद को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

11. भारतीय ज्ञान प्रणाली को पाठ्यक्रम में स्थान भारत के इतिहास, परंपरा, संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान को सभी तक पहुंचाने के लिए पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली को स्थान दिया गया जिससे भारत के गौरवशाली अतीत तथा समृद्ध संस्कृति तथा परम्परा से न सिर्फ विद्यार्थियों को परिचित कराना अपितु इसके प्रति आदर, सम्मान का भाव जाग्रत करना एवं उच्च मूल्यों को विद्यार्थियों में विकसित करना भी NEP-2020 का प्रमुख उद्देश्य है जो आने वाले समय में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के रूप में प्रदर्शित होगा।

12. विद्यार्थियों के नैतिक विकास के लिए विशेष पहल- मानवीय जीवन से नैतिक मूल्यों के हास को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के नैतिक विकास पर विशेष बल देती है।

13. विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (2020-21)- विद्यालयी शिक्षा के नए संरचना 5+4+4+3 के अनुसार पाठ्यचर्या बनाने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2020-21 के बारे में भी NEP-2020 में बतायागया है जिसमें ऐसा पाठ्यक्रम होगा जिससे बच्चों में उत्साह और शिक्षा के प्रति रुचि बढे और वो अपनी इच्छानुसार विद्यालय आये न कि उसे जबरदस्ती भेजना पड़े। इसके अतिरिक्त विषयवस्तु जीवन से सम्बन्धित उदाहरणों प्रोत्साहन देने वाली होगी।

14. सतत एवं व्यापक रचनात्मक आकलन- NEP-2020 बालक के ज्ञानात्मक, भावनात्मक, समझ, कौशल आदि पक्ष केआकलन के लिए सतत एवं व्यापक रचनात्मक आकलन की बात करती है जिससे बालक के समग्र विकास का आकलन किया जा सके।

स्कूली शिक्षा बालक के विकास में एक अहम भूमिका निभाती है। स्कूली शिक्षा विद्यार्थी में नैतिक मूल्यों, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, आध्यात्मिक विकास करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के द्वारा छात्रों को भारतीय संवैधानिक मूल्यों एवं मौलिक दायित्वों के ज्ञान के साथ-साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों, सोच आदि के विकास करते हुए देश के एक जिम्मेदार नागरिक बनाने वाली है, जिससे वो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो और सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें। नई शिक्षा नीति-2020 में स्कूली शिक्षा के लिए अनेक नये प्रावधान जैसे स्कूली शिक्षा का नयी संरचना, मातृभाषा पर जोर, समावेशी शिक्षा पर जोर, सर्वांगीण विकास, नवीन शिक्षण विधि, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आदि के द्वारा स्कूली शिक्षा में परिवर्तन कर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया है। नई शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में आने वाली बाधाओं जैसे शिक्षा की पहुंच, शिक्षण विधियों से संबंधित, पाठ्यक्रम संबंधित समस्याओं, विद्यालयी समस्याओं आदि को दूर किया है जिससे स्कूली शिक्षा को सरल और सबके पहुंच वाली बना दिया। इसलिये नई शिक्षा नीति शिक्षा को रटने वाले विषयों और अंक प्राप्त करने वाली पुरानी परम्परा से आगे शिक्षा के वास्तविक अर्थ ज्ञान, कौशल, मूल्यों, सर्वांगीण विकास करने वाली है जो विद्यार्थियों को निरंतर कार्य करने और प्रगति करने के लिए प्रेरित करेगी।

संदर्भ सूची :

NEP_Final_English_0.pdf. (n.d.). Retrieved May 30, 2023

Literacy Rate in India 2023 | Kerala & Bihar Literacy Rate 2023. (2023, June 13), The Global Statistics. Meena, & Sharma, M. (2021). Naye Bharat ki neev & Rashtriy Shiksha Niti-2020. Hans Shodh Sudha, 1(3), 59-62.

Govinda, R. (2020). NEP 2020: A Critical Examination. Council for Social Development, 50(4).

line-org.cdn.ampprogest.org